7

0809069

प0 सं0- वैट/ प्रवेश कर विज्ञप्ति-2812/2815/2757/ 29-09-08/ व्य-206 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वैट -अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 30 सितम्बर 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा-4 तथा धारा-12 के अन्तर्गत जारी की गई विज्ञप्तियों के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा- 4 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की अनुसूची को प्रतिस्थापित कर दिया है। जिसके लिए विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-2812/11-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश (30)-2008 दिनांक 29-09-2008 जारी की गयी है। विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार अनुसूची में पूर्व से विद्यमान 12 वस्तुओं के अलावा 8 वस्तुओं को और बढ़ा दिया गया है फलस्वरुप ऐसी 08 वस्तुओं पर राज्य सरकार को इन पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। विज्ञप्ति संख्या - क0नि0-2-2757/11-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश (31)-2008 दिनांक 29-09-2008 जारी करके आठों वस्तुओं पर उनके सामने अंकित दर से प्रवेश कर दिनांक 30-09-2008 से लगा दिया गया है।

1	टैक्क्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर व्हीकिल एवं उनकी चेसिस।	माल के मूल्य का एक प्रतिशत
2	केन्द्रीय बिक्रय - कर अधिनियम 1956 की धारा-14 मे यथा परिभाषित लोहा एवं इस्पात।	माल के मूल्य का एक प्रतिशत
3	एल्यूमीनियम एवं उसके उत्पाद जिसमें एल्यूमीनियम के वर्तन सम्मिलित नहीं हैं।	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
4	सभी प्रकार के केबिल्स।	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
5	लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित है।	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
6	टायर एवं ट्यूब्स जिसमें साइकिल, साइकिल रिक्सा एवं पशुचालित वाहन के टायर एवं ट्यूब सम्मिलित नहीं है।	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
7	मार्बल पत्थर एवं इनके टाइल्स।	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
8	रेफरीजरेटर, एयरकन्डीशनर एवं एयर कन्डीशनिंग प्लांट्स।	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत

इसी के साथ-साथ शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-2815/11-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश (32)-2008 दिनांक 29-09-2008 जारी करके प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्रय -कर अधिनियम 1956 की धारा-14 में यथापरिभाषित लोहा एवं इस्पात, एल्यूमीनियम एवं इसके उत्पाद जिसमें एल्यूमीनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं हैं, लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरीफेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित है तथा रेफरीजरेटर, एयर कन्डीशनर एवं एयर कन्डीशनिंग प्लांट को बिक्री करने पर क्रेता द्वारा देय प्रवेश कर के बराबर कर की धनराशि क्रेता से प्राप्त करके जमा करने का प्राविधान कर दिया गया है। परिणामस्वरुप उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माता के माध्यम से प्रवेश कर की वसूली का प्राविधान दिनांक 30-09-2008 से लागू हो गया है।

इस सन्दर्भ में जो विज्ञप्तियां जारी की गयी हैं उसमें पूर्व में जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर लगता था अथवा जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर की वसूली विर्निमाता से किया जाना है, को सम्मिलित करके एकीकृत विज्ञप्तियां जारी की गयी हैं यह इसलिए किया गया है कि इसके पहले की जो विज्ञप्तियां जारी की गयी थी वह उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के पूर्व लागू अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी थीं और उन्हे अधिनियम 2007 के अन्तर्गत विधिमान्य किया गया था। भविष्य में इन्ही विज्ञप्तियों के आधार पर प्रवेश कर की देयता तथा विर्निमाता के माध्यम से प्रवेश कर की वसूली की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्त तीनों विज्ञप्तियां विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उनको डाऊन लोड करके पर्याप्त प्रतियॉ कराकर सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ-साथ व्यापार संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टर एकाउन्टेंट संघों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दें तथा स्थानीय समाचार-पत्र के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर लागू किया गया है उस पर भी नियमानुसार प्रवेश कर जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री यू0सी0दीक्षित / श्री एस0सी0द्विवेदी, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्या0/सर्वोच्च न्या0 कार्य) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।